रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 958] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938
No. 958] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/ VAISAKHA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

का.आ. 1469(अ). यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2719 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (पुराना रारा संख्या 231) के 0.720 कि.मी. से 169.600 कि.मी. (रायबरेली जौनपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा हैं;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 03 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 तथा सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथा–संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिन्हें सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में रारा–231 पर डिजाइन कि.मी. 0.000 से 166.400 कि.मी. तक (विद्यमान 101.800 कि.मी. से 267.680 कि.मी. तक) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त खण्ड'' संदर्भित किया गया है) स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर रायबरेली जौनपुर सेक्शन के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग हेतु नीचे सारणी–1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के 60% की दर से (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) सड़क खण्ड की समकक्ष लम्बाई 165.260 कि.मी. के लिए (जिसमें 151.560 कि.मी. की सड़क और (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) की 13.700 कि.मी. संरचना की समकक्ष लम्बाई शामिल है, तथा दस करोड़ रुपए अथवा अधिक की लागत वाले 13.470 कि.मी. लम्बे बाइपासों हेतु आधार दर के 90% की दर से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से, वास्तविक कार्यान्वयन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी–1

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6.	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रायबरेली जिले में नुरूद्दीनपुर गांव के पास 40.000 कि.मी. (विद्यमान 141.000 कि.मी) पर	78.850 (10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले बाइपास की लम्बाई और 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
जौनपुर जिले में कुंवरपुर गांव के पास 132.400 कि.मी. (विद्यमान 236.400 कि.मी) पर	72.710 (10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले बाइपास की लम्बाई और 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रायबरेली जिले में नुरूद्दीनपुर गांव के पास 40.000 कि.मी. (विद्यमान 141.000 कि.मी) पर	0.650*	6,500	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
जौनपुर जिले में कुंवरपुर गांव के पास 132.400 कि.मी. (विद्यमान 236.400 कि. मी) पर	0.720**	7,200	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

*संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम सं0	प्रारम्भ चैनेज (कि.मी. पर)	समापन चैनेज (कि. मी. पर)	संरचना का प्रकार	संरचना का नाम	कुल लम्बाई (मीटर)
(i)	84.220	84.590	आरओबी	भूपिया मऊ	650.000
संरचना की कुल लम्बाई					650.000

** संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम सं0	प्रारम्भ चैनेज (कि.मी. पर)	समापन चैनेज (कि. मी. पर)	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लम्बाई (मीटर)
(i)	104.984	105.454	रामापुर में आरओबी	468.000
(ii)	87.944 पर		बड़ा पुल	72.000
(iii)	158.812 पर		बड़ा पुल	180.000
संरचना की कुल लम्बाई				720.000

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए बाइपास की विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	प्रारम्भ	विलय		
रायबरेली जिले में नुरूद्दीनपुर गांव के पास 40.000 कि.मी. (विद्यमान 141.000 कि.मी) पर	सलोन बाइपास	25.400	31.900	6.500	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
जौनपुर जिले में कुंवरपुर गांव के पास 132.400 कि. मी. (विद्यमान 236.400 कि.मी) पर	मुंगरा बादशाहपुर	116.530	123.500	6.970	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016—17 के लिए मासिक पास की दर 235.00/— रूपए (दो सौ पैतीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं के लिए पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे'—

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	अधिक	संदाय के समय से एक मास

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे टोल प्लाजा को पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का तब तक उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन के चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट—प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दरों के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण

द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित लागत 684.57 करोड़ रुपए है, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्ययीन है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ काटने आदि के कार्यकलाप अभी पूरी किए जाने बाकी है। अंतिम पूंजीगत लागत अलग–से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/15–16/रायबरेली–जौनपुर (0.000–166.400)]
लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 1469(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2719 (E) dated 30th November, 2011 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.720 to 169.600 (Raebareli-Jaunpur section) of New National Highway number 31 (old NH No. 231) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 & G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015 for collection of fee for the use of sections of national highways, permanent bridge, bypasses, tunnels ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of Two lane with paved shoulders Raebareli-Jaunpur section from Design km 0.000 to km 166.400 (Existing km 101.800 to km 267.680) on NH-231 in the State of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "said section'), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 60% of the rate specified in columns (2) (hereinafter referred to as "base rate") of Table 1 below for total equivalent road length of 165.260 km [including 151.560 km road and equivalent 13.700 km of structure (having more than 60 m length)] and at 90% the base rate for 13.470 km length of bypasses costing Rupees Ten crore or more and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later.

TABLE-1

S. No	Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three-axle commercial vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 40.000 (existing km 141.000) near Village Nuruddinpur in District Raebareli	78.850 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 132.400 (existing km 236.400) near Village Kunwarpur in District Jaunpur	72.710 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 40.000 (existing km 141.000) near Village Nuruddinpur in District Raebareli	0.650*	6.500	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 132.400 (existing km 236.400) near Village Kunwarpur in District Jaunpur	0.720**	7.200	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type of structure	Name of the Structure	Total length (mtr.)
(i)	84.220	84.590	ROB	Bhupia Mau	650.000
Total length of structure					650.000

** The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (mtr.)
(i)	104.984	105.454	ROB at Ramapur	468.000
(ii)	At 87.944		Major Bridge	72.000
(iii)	At 158.812		Major Bridge	180.000
Total length of structure				720.000

3.In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At km 40.000 (existing km 141.000) near Village Nuruddinpur in District Raebareli	Salon Bypass	25.400	31.900	6.500	90% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 132.400 (existing km 236.400) near Village Kunwarpur in District Jaunpur	Mungra Badshahpur	116.530	123.500	6.970	90% of the base rates mentioned in Table-1 above

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred

Thirty Five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the said Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the said Rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 684.57 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/15-16/Raebareli-Jaunpur (0.000-166.400)]
LEENA NANDAN Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.